With the enforcement of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 providing for deterrent punishment for drug offence cases, the drive against drug traffickers/smugglers has been intensified, both by the Centre as well as the States. Government of India have also notified the border areas of Manipur, Mizoram and Nagaland with Burma, as specified area, under section 11H of the Customs Act, 1962, having regard to the vulnerability to smuggling. Besides, the Chief Secretaries of the North-Eastern States and the Police authorities of those States have also been impressed upon the need for tightening the various control measures in regard to drug trafficking.

Narcotic Cells have also been created in the Customs and Central Excise Collectorates all over the country and in the State police organisations. Government have also launched multi-pronged aggressive countermeasures against drug trafficking, which, *inter alia*, include strengthening of the preventive and intelligence machinery, specially around borders, adoption of a liberalised reward scheme for officers and informers, strengthening of bilateral cooperation between neighbouring countries (including regional co-operation under the aegis of SAARC). The situation is also kept under constant review for appropriate follow-up action.

Adverse effect of industries on environment in Rajasthan

2780. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) what is the area deforested in Rajasthan during the last three years, yearwise, due to the setting up of industries; and

(b) the extent to which the setting up of such industries has adversely affected the environment there causing drought in the State?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z. R. ANSARI): (a) and (b) Following area has been deforested in Rajasthan for setting up of industries during last three years.

Years	Area deforested
1985	39.4 ha.
1986	3.48 ha.
1987	Nil

There has been no survey to assess the extent to which environment has been adversely affected by setting up of industries on forest land referred to in part (a) of the question.

हशीश का जब्त किया जाना

2781. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न महानगरों में हशीश जब्त किये जाने के कितने मामले प्रकाश में आये हैं ; और

(ख) प्रत्येक मामले में जब्त की गयी हशीश की मात्रा कितनी थी ; उसका मूल्य कितना था ; प्रत्येक मामले में पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और जब्त की गयी हशीश का निपटान कैसे किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) और (ख) चार महानगरों में विगत तीन

वर्षों के दौरान, हशीश की मात्रा सहित उसके अभिग्रहण के मामलों की संख्या और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	मामलों की संख्या	अभिगृहीत मात्रा (किलोग्राम)	गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों की संख्या
	बम्बई		
1985	33	5,700	47
1986	35	6,851	52
1987	44	7,250	53
	दिल्ली		
1985	22	1,987	26
1986	22	3,418	31
1987	17	131	15
	कलकत्ता		
1985	5	95	9
1986	11	946	18
1987	2	11	3

(मद्रास शहर में वर्ष 1986 में 0.570 किलोग्राम का एक ही अभिग्रहण का मामला था जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था ।)

(टिप्पणी : 1987 के आंकड़े अन्तिम हैं । आंकड़े निकटतम किलोग्राम तक पूर्णांकित हैं ।)

अभिगृहीत नशीले औषध-द्रव्यों का ठीक-ठीक मूल्य निश्चित नहीं आंका जा सकता है क्योंकि यह विभिन्न कारणों पर निर्भर करता है जैसे नशीले औषध-द्रव्यों की गुणवत्ता, उनका उद्गम स्थान और उनकी बिक्री, आदि । हशीश के अभिग्रहण के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों पर कानून के तहत, समुचित कार्रवाई के लिए मुकदमा चलाया गया है । विधिक कार्यवाहियों के बाद निपटान हेतु तैयार जब्तशुदा हशीश को सरकार की निगरानी में जलाकर नष्ट कर दिया जाता है ।

"भगीरथ" पत्रिका का संपादक मंडल

2782. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "भगीरथ" पत्रिका के वर्तमान संपादक मंडल के अध्यक्ष और सदस्यों की शैक्षिक अर्हताएं और पत्रकारिता संबंधी अनुभव क्या हैं ;

(ख) यह मंडल कब और किन नियमों के अधीन गठित किया गया है ;